नागरिक शास्त्र

पाठ-1

E58EDV

हमारा लोकतंत्र

हर शाम गाँव की चौपाल लगती है। अस्सी साल की काकी स्वतन्त्रता सेनानी रही हैं और आजकल अपने गाँव की प्रधान हैं। आज भी चौपाल बैठी है। चलो देखें, वहाँ क्या हो रहा है ?

काकी - ”देखो, अब हमारा देश आजाद है। हमारे देश में हमारी सरकार है। यदि तुम लोगों को कोई परेशानी या तकलीफ है तो तुम अपनी बात बेहिचक मुझसे कहो जिससे मैं तुम्हारी समस्याओं को सरकार तक पहुँचाकर उनका निदान करवा सकूँ।“

जिला स्तर

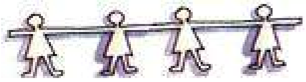

ब्लॉक स्तर

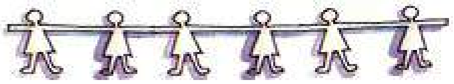

गाँव स्तर

संविधान के 73वें संशोधन के अन्तर्गत पंचायती राज की स्थापना की गई है। इससे लोकतंत्रीय व्यवस्था गाँव स्तर तक पहुँच गई है।

“काकी, सरकार हमारी बात क्यों सुनेगी। हमारा उन पर क्या अधिकार है ?“ हरिया ने कहा।

”अरे हरिया, यह कोई राजाओं का जमाना या अंग्रेजों की गुलामी का समय नहीं है। अब हमारे देश में लोकतंत्र है।“

”लोकतंत्र?“ रामवती ने पूछा, ”काकी यह लोकतंत्र क्या है ?“

”लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है लोगों का शासन, पर इसका अर्थ यह नहीं कि लोग एक दूसरे पर शासन करें। बल्कि लोकतंत्र का तात्पर्य ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसमें देश के लोगों की परोक्ष या अपरोक्ष रूप से समान भागीदारी हो। इसमें महिलाओं, पुरुषों, दलितों

एवं अल्पसंख्यकों सहित समाज के अन्य सभी वर्गों की समान भागीदारी होती है। हमारी लोकतान्त्रिक व्यवस्था में सभी वयस्क (18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग) अपने मत का प्रयोग करके कुछ प्रतिनिधियों को चुनते हैं। चुने हुए प्रतिनिधि मिलकर देश के लिए कानून बनाते हैं। ये कानून भी अधिकांश चुने हुए लोगों की सहमति से बनते हैं। लोग अपनी मर्जी से कानून नहीं बना सकते हैं। इसके लिये बहुमत द्वारा निर्णय करने का अधिकार सबको बराबर मिलता है। लोकतंत्र में व्यक्तिगत निर्णय नहीं अपितु सामूहिक निर्णय महत्व रखता है।“ लोकतंत्र में कानून का पालन होता है, किसी व्यक्ति विशेष के आदेशों का नहीं।

”तो काकी, हमारे देश में लोकतंत्र कब आया ?“ हरिया ने पुनः पूछा।

”हमारे देश में लोकतंत्र की नींव एक दिन में नहीं पड़ी।“ काकी ने कहा। ”इसकी नींव अंग्रेजों से लड़ते हुए आजादी के समय पड़ी थी। कारण यह था कि इस आजादी का मुख्य आधार लोगों की सक्रिय भागीदारी थी।”

”पुराने समय में जब राजा राज्य करते थे वे अपने कुछ खास लोगों की मदद से कानून बनाते थे। राजा के बाद उसका बेटा उस राज्य का राजा बनकर ऐसा ही करता था। कानून बनाने या लागू करने में लोगों की कोई भागीदारी नहीं रहती थी, पर लोगों को उस कानून का पालन करना पड़ता था। अतः हमारे नेताओं ने यह तय किया कि देश का शासन देश के लोगों के हाथों में होगा। तभी हमें ‘लोकतंत्र’ स्थापित करने की प्रेरणा मिली क्योंकि यही ऐसी व्यवस्था है जिसमें सर्वसाधारण को अधिकतम भागीदारी का अवसर मिलता है।“

लिखो- राजा के शासन और लोकतांत्रिक शासन में क्या अन्तर है ?..
....
....

”आजादी के बाद लोकतंत्र की स्थापना करने के लिये देश का संविधान लिखा गया। संविधान का निर्माण करने वालों को भी लोगों ने चुना था। संविधान में केन्द्रीय और प्रांतीय दोनों प्रकार की सरकारों को बनाने और चलाने के कानून दिए गए हैं। संविधान के कानून सबसे ऊँचे कानून हैं। ये कानून देश के सभी लोगों को समान रूप से मानने पड़ते हैं, उनको भी जिन्होंने ये कानून बनाए हैं। यदि कोई भी व्यक्ति कानून तोड़ता है तो उसे कानून के अनुसार सजा मिलती है।”

”पर काकी, हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र है ?” शबनम ने पूछा।

”शबनम, हमारे संविधान में भारत को एक लोकतंत्रात्मक देश घोषित किया गया है और इस संविधान में लोकतंत्र के उन आधार स्तम्भों की चर्चा की गई है जो लोकतंत्र के लिये जरूरी हैं।

”काकी, ये आधार स्तम्भ क्या है ? कृपया इसके विषय में बताइए।“ राजन ने पूछा।

”ठीक है तुम सभी ध्यान से सुनो। लोकतंत्र का पहला आवश्यक आधार स्तम्भ है- स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव।“

”भारतीय संविधान के तहत् भारत में एक लोकतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की गई है। ऐसी सरकार, लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होती है, जिनका निर्वाचन (चुनाव) लोगों द्वारा किया जाता है। इस कार्य के संचालन के लिये भारतीय संविधान ने चुनाव आयोग की व्यवस्था की है।“

मालूम है, भारत जैसे बड़े और विकासशील देश में एक संसदीय चुनाव कराने में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि खर्च होती है।

स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए खतरा है-

रिश्वतखोरी, डराना-धमकाना, पररूपधारण

”चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करता है कि देश में होने वाले चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हों। इसके लिए चुनाव आयोग, चुनाव में होने वाले व्यय की सीमा तय करता है जिसका राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों द्वारा पालन किया जाता है। चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिये यह जरूरी है कि पर्याप्त मात्रा में पुलिस एवं चुनाव अधिकारी नियुक्त किए जाएँ। किसी भी प्रकार के चुनाव विवादों में चुनाव आयोग तथा उच्चतम न्यायालय की भूमिका सर्वोपरि होती है।

लिखिए - ऐसे कौन से कारण हैं जिनसे चुनावों की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता को खतरा हो सकता है?

....

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन

यह एक डिब्बेनुमा मशीन है जिसमें एक तरफ राजनीतिक दलों के नाम एवं चिह्न छपे होते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल के नाम एवं चिह्न के सामने एक नीले रंग का बटन होता है जिसको दबाने से हम अपनी इच्छानुसार किसी भी दल को अपना मत दे सकते हैं। नीला बटन सिर्फ एक बार ही दबाया जा सकता है। अतः इस प्रकार सिर्फ एक ही दल के पक्ष में एक ही व्यक्ति द्वारा एक ही मत दिया जा सकता है।

मतदान करते नागरिक

हमारे यहाँ कई तरह के चुनाव होते हैं। आप किन चुनावों के बारे में जानते हैं, लिखिए

....

”काकी“, रामरतन ने पूछा, “लोकतंत्र में राजनीतिक दल क्या काम करते हैं ?“

”अरे रामरतन, किसी भी विशाल समाज में लोग व्यक्तिगत रूप से सार्वजनिक जीवन को प्रभावित नहीं कर सकते परन्तु दूसरों से मिलकर यह सम्भव हो सकता है। यही काम राजनैतिक दल करते हैं। राजनैतिक दल, राजनैतिक पद एवं प्रभाव पाने के उद्देश्य से समान विचार रखने वालों के साथ मिलकर कार्य करते हैं। इसके अलावा चुनाव के समय ये राजनैतिक दल अपने-अपने विचार, कार्यक्रमों एवं नीतियों को लोगों के समक्ष रखते हैं

जिससे लोगों को सही प्रतिनिधियों को चुनने में मदद मिलती है। जिस दल के सबसे ज्यादा प्रतिनिधि चुने जाते हैं वही दल सरकार बनाता है और बाकी राजनैतिक दल विपक्षी दल के रूप में कार्य करते हैं। ये विपक्षी दल सरकार को अपनी मनमानी करने से रोकते हैं।“

चुनाव अधिकारी के प्रयोग के लिए मतदाता के प्रयोग के लिए

”पर यदि, किसी भी दल का बहुमत न हो तो ?“

”ऐसे में समान विचारों वाले दल आपसी विचार विमर्श से अपना एक नेता चुनते हैं और सरकार बनाते हैं। ऐसी सरकार ‘मिली जुली सरकार’ कहलाती है। ऐसा भी होता है कि जिस दल को मतदाताओं के सबसे कम मत मिलते हैं वह भी अन्य दलों से एक समझौते के तहत अपनी सरकार बना लेते हैं।“

सोचकर लिखिए -

यदि मिली-जुली सरकार में दल के नेताओं के आपसी विचार न मिलें तो क्या होगा ?

....

....

जल्दी-जल्दी चुनाव कराने के क्या परिणाम हो सकते हैं ?

....

....

....

”अच्छा काकी बताइए, इन दलों की भी चौपाल जरूर लगती होगी?“ रामरतन ने उत्सुकतावश पूछा।

”हाँ भाई हाँ,“ काकी हँसते हुए बोलीं, ”इन सारे दलों के चुने हुये प्रतिनिधि नई दिल्ली स्थित ‘संसद’ ;चंतसपंउमदज) नामक भवन में बैठते हैं। भारतीय लोकतंत्र में संसद, लोगों की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। ये प्रतिनिधि लोगों के विचारों से सरकार को, संसद के माध्यम से अवगत कराते हैं। सरकार अपने कार्यों के लिये संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कोई भी सरकार संसद के माध्यम से ही देश का शासन चलाती है।“

”तो काकी हमारे गाँव के तालाब की सफाई करवाने के लिये क्या हमें नई दिल्ली जाना पड़ेगा ?“

”अरे नहीं सोहन, इसके लिए तुम मुझसे या स्थानीय विकास अधिकारी से कह सकते हो। लोकतंत्र में स्थानीय शासन बहुत आवश्यक है। इससे सार्वजनिक जीवन में निर्णय की प्रक्रिया में भाग लेने के अवसर बढ़ जाते हैं और लोगों की सीधी भागीदारी होती है।“

लिखो- यदि तुम्हारे गाँव में जलभराव की समस्याएँ हों तो तुम किसके पास अपनी समस्या लेकर जाओगे ?..

”अच्छा! ...... तभी तो काकी, जब से तुम प्रधान बनी हो गाँव की तो काया ही पलट गई।“

”हाँ भाई, सही कहा तुमने“ सभी एक स्वर में बोले।

”पर काकी, अगर सरकार तुम्हारे कार्यों में हस्तक्षेप करे तो ?“ रहीम ने पूछा।

”भारतीय लोकतंत्र में प्रत्येक भारतीय नागरिक को कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं जैसे- नागरिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकार। यही मौलिक अधिकार लोकतंत्र का दूसरा आधार स्तम्भ है। राजनैतिक एवं नागरिक अधिकार विशेषतया ऐसे अधिकार हैं जिनके अनुसार राज्य, व्यक्तियों तथा समूहों के कार्यों में हस्तक्षेप न करने के लिए प्रतिबद्ध है।“

वैधता से बच निकलने के प्रयास को

अलोकतांत्रिक करार दिया जाना चाहिए

"तो काकी बताओ, क्या तुम्हारी तरह मैं भी चुनाव लड़ सकती हूँ ?"
"हाँ क्यों नहीं लड़ सकती हो ? यह तो सभी का अधिकार है चाहे स्त्री हो या पुरुष।"
"पर काकी यदि कोई हमें चुनाव लड़ने से रोके तो ?"
"रोकेगा क्यों ? यह तो तुम्हारा मौलिक अधिकार है।
भारतीय संविधान ने नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा का भार सर्वोच्च न्यायपालिका को सौंपा है। जनता को समान न्याय दिलाने हेतु न्यायपालिका को सरकार के दबाव और नियंत्रण से स्वतंत्र रखा गया है। जिससे वह निष्पक्ष एवं निर्भयतापूर्ण न्याय दे सके। इसलिये सर्वोच्च न्यायपालिका को केन्द्र तथा राज्यों, दोनों में से किसी एक के भी अधीन नहीं रखा गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र का तीसरा महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ है।"
रामरतन ने तभी अचानक पूछा- अच्छा काकी, मीडिया या संचार माध्यम के बारे में अक्सर सुनते हैं। ये क्या हैं ? काकी बोलीं, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। कल तुमने टेलीविजन पर देखा होगा भारत ने क्रिकेट मैच कितना अच्छा खेला। मैच जीतने पर गाँव वालों ने खुशी में पटाखे भी छुड़ाए थे। रामरतन ने कहा, हाँ काकी, खेतों पर काम करते समय मैं भी रेडियो से मैच के बारे में सुन रहा था। काकी ने कहा यही रेडियो, टेलीविजन, अखबार, पत्र-पत्रिकाएँ, बैनर एवं पोस्टर संचार-माध्यम या मीडिया हैं जिनके माध्यम से हम सूचनाओं का प्रचार-प्रसार करते हैं। "एक बात और, सरकार अपनी नीतियों और कार्यों के लिये जनता का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करती है। ये संचार माध्यम स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। ये न केवल शासन की नीतियों का प्रचार करते हैं बल्कि शासन के काम की जाँच-पड़ताल भी करते हैं, जनता को सूचनाएँ उपलब्ध कराते हैं तथा सभी प्रकार के विचारों का आदान-प्रदान करने का साधन बनते हैं। वे शासन तक जनभावना पहुँचाने तथा शासन पर सार्वजनिक दबाव का माध्यम भी होते हैं और यही लोकतंत्र का चौथा आधार स्तम्भ है।"

संविधान में भारतीय नागरिक को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है परन्तु वह न्यायालय और संसद की अवमानना या मानहानि नहीं कर सकता है। यदि सरकार जनता की बात नहीं सुनती तो जनता उसका विरोध सभाओं, प्रदर्शनों, जुलूसों तथा आन्दोलनों द्वारा कर सकती है, किन्तु ये आन्दोलन पूर्णतया शांतिपूर्ण होने चाहिए। कुछ लोग विरोध प्रदर्शन करने पर सार्वजनिक सम्पत्तियों यथा- बसों, रेलगाड़ियों को तोड़-फोड़ कर, आग लगाकर तथा ऐतिहासिक इमारतों को क्षति पहुँचाते हैं तथा महापुरुषों की मूर्तियों पर पोस्टर चिपकाते हैं।

आप बताइए क्या यह उचित है ? अपने विचार लिखिए ....

कुछ वर्ष पहले की बात है कि जमालपुर गाँव में घुरहू काका को कई महीने की पेंशन नहीं मिली। उन्होंने शहर जाकर अखबारों में यह खबर छपवाई। खबर पढ़कर पेंशन विभाग में खलबली मच गई। जाँच करने पर विभाग के लोगों को गलती मालूम हुई। नतीजा यह हुआ कि काका को विभाग से पत्र मिला कि वे अपनी बकाया पेंशन विभाग में आकर तत्काल प्राप्त कर लें। देखा, कैसे प्रशासन तंत्र में जवाबदेही लाए।

यदि शासन जनमत की इच्छा की लगातार अवहेलना करता है तो अगले चुनाव में उन लोगों को जनता दुबारा नहीं चुनेगी। किन्हीं और लोगों को वोट देकर विजयी बनाएगी। यही जन प्रतिनिधियों में जवाबदेही लाने का तरीका है।

”अच्छा काकी! अब समझे, लोकतंत्र -लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिये - शासन है।“

”बिल्कुल ठीक कहा तुमने, पर मात्र लोकतंत्रीय ढाँचा बना लेने से सही अर्थों में लोकतंत्र सुनिश्चित नहीं होता है। इसके लिये यह जरूरी है कि प्रत्येक नागरिक अपने कर्त्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति जागरूक हो। वह स्वयं निर्णय लेने की क्षमता रखता हो और यह तभी संभव है जब वह शिक्षित एवं जागरूक होगा। शिक्षित व्यक्ति को न केवल अपने देश की समस्याओं की सही जानकारी होती है बल्कि उनको सुलझाने में भी वह अपना योगदान दे सकता है। शिक्षित व्यक्ति किसी के बहकावे में आकर उसे वोट नहीं देगा। वह अपने विवेक से उचित, अनुचित का निर्णय करेगा। इसलिए लोकतंत्र को सफल बनाने में शिक्षा का महत्व सबसे अधिक है और तभी लोकतंत्र मज़बूत होगा।“

तुम बेवकूफ बना सकते हो सभी लोगों को, कुछ समय के लिए, कुछ लोगों को हमेशा के लिए, लेकिन सभी लोगों को हमेशा के लिए नहीं। - अब्राहम लिंकन

सर्वधर्म समभाव

लोकतंत्र की सफलता के लिये शिक्षा के अतिरिक्त नागरिकों में परस्पर धार्मिक सद्भाव का होना भी आवश्यक है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उनमें पंथ-निरपेक्षता की भावना होनी चाहिए। इसका सीधा अर्थ यह है कि-

- सभी व्यक्तियों को अपने-अपने विश्वास के अनुसार अपना धर्म पालन व प्रचार-प्रसार करने की स्वतंत्रता होगी।
- धर्म के आधार पर राज्य नागरिकों में कोई भेद-भाव नहीं करेगा।
- राज्य किसी भी धर्म को विशेष प्रोत्साहन नहीं देगा।

श्रीमान्, यह योजना तो कब से चली आ रही है पर कभी लागू नहीं की गयी। यह योजना प्रत्येक चुनाव में चुनावी वादे की तरह प्रयोग की जाती है।

सामाजिक समरसता व आर्थिक समानता

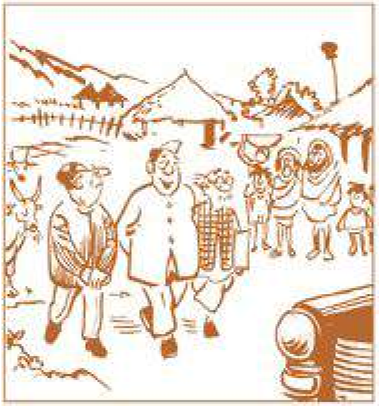

इन लोगों को समझ पाना बहुत कठिन है।

यहाँ पढ़ना-लिखना तो कोई जानता नहीं फिर भी स्कूल चाहते हैं!

लोकतंत्र में धार्मिक स्वतंत्रता के साथ-साथ सामाजिक समानता का होना भी आवश्यक है। सामाजिक समता के अभाव में लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। विगत कई शताब्दियों से हमारे समाज में अनेक प्रकार की असमानताएँ विद्यमान रही हैं। धर्म, जाति और लिंग पर आधारित भेद-भाव हमारी सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करते रहे हैं। इसके कारण मानव और मानव के बीच दूरी बढ़ती गई जो राष्ट्रीय एकता और सामाजिक प्रगति के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा सिद्ध हुई। इस भेद-भाव को समाप्त करने के लिए सभी जातियों को समाज में समान अवसर व स्थान दिए जाने चाहिए।

श्रीमान् ! इस व्यक्ति के विरुद्ध चोरी तथा

गैरकानूनी आरोप है लेकिन हमें इसे अपनी पार्टी

में शामिल करने से पहले इसकी और अच्छी जाँच कर लेनी चाहिए।

यदि देश में असमान आय वितरण होगा यानि कुछ लोग बहुत अमीर और ज्यादा लोग बहुत गरीब। तब भी लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर होगी। लोग असंतुष्ट होकर शान्ति भी भंग कर सकते हैं।

लोकतंत्र का भविष्य: कुछ चुनौतियाँ

हम सबको अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए जरूरी है कि हम सही नेताओं का चुनाव करें। यदि उन्हें सही नेताओं को चुनने के लिए कोई ठीक विकल्प नहीं मिलता है या चुने हुए प्रतिनिधि अक्षम हैं तथा उनमें बदलाव लाने की दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है, तब लोकतंत्र एक अनुपयोगी व महँगा ढाँचा मात्र सिद्ध होता है। अतः हमें याद रखना चाहिए कि एक जवाबदेह लोकतंात्रिक व्यवस्था लाना हमारा महत्वपूर्ण दायित्व है। इस जिम्मेदारी से हम बच नहीं सकते हैं।

> समाज को दुष्ट व्यक्ति की दुष्टता नहीं बल्कि अच्छे लोगों की निष्क्रियता पतन की ओर ले जाती है।
>
> शिव खेरा

अभ्यास

1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

(क) लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए स्वतंत्र निर्वाचन क्यों आवश्यक है ?

(ख) संचार माध्यम या मीडिया से क्या अभिप्राय है ? इससे जनता को क्या लाभ होता है ? उदाहरण देकर समझाइए।

(ग) संसद, विधानसभा अथवा ग्राम पंचायत के लिए प्रतिनिधि चुनते समय आप किन बातों का ध्यान रखेंगे ?

(घ) राजनैतिक और सामाजिक अधिकारों के अन्तर्गत किस प्रकार के अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं ?

(ङ) लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या महत्व है ?

(च) राजनैतिक दलों के लिए चुनाव-चिह्न होना क्यों जरूरी है ? एक उदाहरण दीजिए।

(छ) चुनाव की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

(ज) सभी वयस्क नागरिकों को मतदान करने का अधिकार है किन्तु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना वोट देने नहीं जाते हैं। सोचिए, ऐसा होता है तो उसका क्या परिणाम होगा ?

2. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

(क) मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु .... है।

(ख) यदि कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है तो उसे .... के अनुसार सजा मिलती है।

(ग) संविधान में भारत को .... देश घोषित किया गया है।

(घ) मतदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक .... मशीन का प्रयोग होता है।

(ङ) भारतीय संविधान मंे स्वत्रंत एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए .... आयोग की व्यवस्था है।

प्रोजेक्ट वर्क

*** अपने क्षेत्र से चुने हुए सांसद, विधायक तथा ग्राम प्रधान के सम्बन्ध में निम्नवत् शीर्षक के अनुसार सूचनाएँ एकत्र कीजिए-**

***नाम ....* दल ....**

*** चुनाव-चिह्न ....* प्रत्याशी जिसको पराजित किया ....**

सम्पादक के नाम एक पत्र लिखिए जिसमें मतदाताओं से चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करने का अनुरोध हो और मतदान न करने से होने वाली हानियों का भी उल्लेख हो।

आप जितने भी राजनैतिक दलों के नाम जानते हैं उनके चुनाव चिह्न कॉपी पर बनाकर उसके नीचे उस दल का नाम लिखिए।